न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2024

वादीगण :–

1. अलका पंवार पत्नी अविनाश
2. देवलीदेवी पत्नी लादूराम
3. सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जातियान मेघवाल ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टोनेश लाकटीया पुत्र पुसाराम
2. पूसाराम पुत्र ढगलाराम
3. राकेश कुमार पुत्र पुसाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या – 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 23/09/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5668 / 5502 रकबा 1.4508 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 601 चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार है। उपरोक्त खसरे की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1 / 12 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 2 / 9 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 5 / 18 वॉ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 6 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 12 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 6 वॉ हिस्सा चालु जमाबन्दी के अनुसार है। उपरोक्त खसरे की भूमि को वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से अनुसार मौके पर जुबानी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है व जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार ही काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक व हिस्से के संबंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाडा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आज दिन तक न तो वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादीगण के निवेदन

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे उपजाऊ बना सकते है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है। इसलिए वादीगण को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यों दिखा रहे हो तब उन्होंने वादीगण को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करके रहेंगे। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि आप बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण की बात को न मानकर वादीगण को एलानिया कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आने पर तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये तथा बिना वादीगण की सहमति के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही करने की समझाईश करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादीगण की बात को न मानकर उल्टा वादीगण को इस आशय की एलानिया धमकी देने पर की वो उनके हिस्से की भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व बिना वादीगण की सहमति के अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे तथा वादीगण द्वारा कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो वादीगण को भी उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से वंचित कर देंगे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा आज दिन तक विधिवत् बंटवाड़ा हेतु सहमत नही होने पर वादकारण बमुकाम ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो सतत् जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 5668 / 5502 रकबा 1.4508 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 के 1/12 वॉं हिस्सा, वादी संख्या 2 के 2/9 वॉं हिस्सा व वादी संख्या 3 के 5/18 वॉं हिस्सा की भूमि का जुबानी बंटवाड़ा मुताबिक काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादीगण की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को उपस्थित होने के लिए पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा वाद का खण्डन नही होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र पर मनन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है तथा वादीगण के मध्य विधिवत् व लिखित बंटवाड़ा नही हो रखा है व न ही वादीगण के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णितानुसार हिस्से की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रखी है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 5668/5502 रकबा 1.4508 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 2/9 वा हिस्सा व वादी सं. 3 का 5/18 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
अलका पंवार टोनेश वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 35/2024

निर्णय **दिनांक :–** 23/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 5668/5502 रकबा 1.4508 हैक्टयर में वादी सं. 1 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 2/9 वा हिस्सा व वादी सं. 3 का 5/18 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तलब कर रास्ता आदि की कार्यवाही कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर भिजवावें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा